UPKJ010003902026

न्यायालय जनपद न्यायाधीश, कन्नौज।

सिविल प्रकीर्ण वाद संख्या–12/74/2026

मौं अन्नपूर्णा राईस मिल बनाम उ.प्र. राज्य विद्युत परिषद

11.03.2026

आदेश

प्रकीर्ण वाद पेश हुआ। प्रार्थी मौं अन्नपूर्णा राईस मिल मढ़पुरा कन्नौज बजरिए प्रोपराइटर सर्वदा निश्चिन्त दीक्षित की ओर से जरिए विद्वान अधिवक्ता अन्तरण प्रार्थना पत्र 3C2 मय समर्थित शपथ पत्र 4C2 इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मूलवाद संख्या–54/2010 माँ अन्नपूर्णा राईस मिल बनाम उ.प्र. राज्य विद्युत परिषद सिविल जज (सी.डि.) कन्नौज के न्यायालय में लम्बित है। उक्त न्यायालय की पीठासीन अधिकारी प्रार्थी के पुत्र श्री विवेक दीक्षित एडवोकेट जो जनपद न्यायालय, कन्नौज में विधि व्यवसाय करता है, से शत्रुता का भाव रखती है, क्योंकि श्री विवेक दीक्षित द्वारा उक्त न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के विरूद्ध माननीय उच्चतम न्यायालय, दिल्ली में शिकायत की है। ऐसी स्थिति में उक्त मूलवाद को सिविल जज (सी.डि.) कन्नौज के न्यायालय से किसी सक्षम न्यायालय में अन्तरित करने की याचना की है।

अंतरण प्रार्थना पत्र के विरूद्ध विपक्षी उ.प्र. राज्य विद्युत परिषद ने इस आशय की आपत्ति प्रस्तुत की है कि वादी पर विपक्षी का मु.57,00,000(सत्तावन लाख) रूपए विद्युत बिल बकाया है। उक्त मूलवाद वर्ष 2022 से वादी की साक्ष्य में नियत है, जिस कारण प्रार्थी ने उक्त न्यायालय के पीठासीन अधिकारी पर मिथ्या आरोप लगाए हैं। उक्त तथ्यों के आधार पर अंतरण प्रार्थना पत्र निरस्त करने की याचना की गई है।

अंतरण प्रार्थना पत्र के संबंध में संबंधित न्यायालय से आख्या आहूत की गई।

सुना तथा संबंधित न्यायालयों की आख्या का अवलोकन किया।

विपक्षी उ.प्र. राज्य विद्युत परिषद ने प्रार्थी पर बकाया बिल के संबंध में बकाया बिल की छाया प्रति प्रस्तुत की है, जिसके अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी पर उ.प्र. राज्य विद्युत परिषद का दिनांक 24.11.2017 तक का मु.57,52,994.00/ रूपए बकाया है। चूँकि प्रार्थी द्वारा यह कथन किया गया है कि उसके पुत्र द्वारा उक्त न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के विरूद्ध माननीय उच्चतम न्यायालय में शिकायत की गई थी, ऐसी परिस्थिति में चाहे वास्तविक पक्षपात सिद्ध हो या न हो, तथापि प्रार्थी के मन में निष्पक्ष सुनवाई के संबंध में आशंका उत्पन्न होना स्वाभाविक प्रतीत होता है। न्यायालय का यह भी कर्तव्य है कि न्यायिक प्रक्रिया के प्रति पक्षकारों का विश्वास बना रहे।

अतः उपरोक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए **मूलवाद संख्या–54/2010 माँ अन्नपूर्णा राईस मिल बनाम उ.प्र. राज्य विद्युत परिषद को** सिविल जज (सी.डि.) कन्नौज के न्यायालय से वापस लेकर विधिनुसार सुनवाई हेतु **सिविल जज(सी.डि.)/एफ.टी सी. कन्नौज** के न्यायालय में अन्तरित किया जाता है। तद्नुसार आपत्ति एवं प्रकीर्ण वाद निस्तारित किया जाता है।

(नरेन्द्र कुमार झा)
जनपद न्यायाधीश,
कन्नौज।
J.O.CODE–UP02007

Digitally signed by NARENDRA KUMAR JHA
Date: 2026.03.11 17:29:04 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court
Kannauj